छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर

क्रमाँक/315/समन्वय/वित्त/शुल्क/2026 रायपुर, दिनाँक 27/10/26

:: आदेश ::

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.10.2026 के विषय क्रमांक–02 एवं कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 15.10.2026 विषय क्रमांक 02 में लिये गये निर्णयानुसार हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी/शारीरिक परीक्षा पत्रोपाधि/डी.एल.एड.मुख्य/द्वितीय मुख्य परीक्षा के संचालन हेतु केन्द्रों एवं संस्थाओं को प्रदाय किये जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक दरों में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है :–

(अ) मुख्य/द्वितीय मुख्य परीक्षा संचालन हेतु दरें :–

स. कं.	विवरण	संशोधित दरें (रूपये)
1	केन्द्राध्यक्ष	
	केन्द्र में सम्मिलित कुल छात्र संख्या अनुसार 1 से 500 छात्रों तक प्रति परीक्षा दिवस	180
	केन्द्र में सम्मिलित कुल छात्र संख्या अनुसार 500 छात्रों से अधिक तक प्रति परीक्षा दिवस	200
2	सहायक केन्द्राध्यक्ष	
	1 से 500 छात्रों पर 01 व 500 से अधिक छात्रों पर 02 सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किए जायेंगे।	150
3	पर्यवेक्षक	
	परीक्षा दिवस में प्रति कक्ष में 1 से 30 छात्रों तक 02 पर्यवेक्षक नियुक्त किए जायेंगे एवं कक्ष में 30 से अधिक प्रति 15 छात्रों पर 1 पर्यवेक्षक अतिरिक्त नियुक्त किए जायेंगे	75
4	लिपिक	
	1 से 400 छात्रों तक 01 एवं 400 से अधिक प्रत्येक 400–400 छात्रों पर 1–1 लिपिक अतिरिक्त नियुक्त किये जायेंगे।	60
5	भृत्य	
	1 से 500 तक 04 भृत्य नियुक्त किए जायेंगे एवं 500 से अधिक प्रत्येक 150–150 छात्रों पर 1–1 भृत्य अतिरिक्त नियुक्त किए जायेंगे।	40
6	सुरक्षागार्ड	40
7	प्रश्नपत्र थाने से लाने व अमूल्यांकित उ.पु. थाने में रखने हेतु	120
8	नैमेत्तिक व्यय केन्द्र में सम्मिलित कुल छात्र संख्या के आधार पर देय 200 छात्र तक	4
9	नैमेत्तिक व्यय केन्द्र में सम्मिलित कुल छात्र संख्या के आधार पर देय 200 छात्र से अधिक	3

जिन पारिश्रमिक दरों में वृद्धि नहीं की गई है वे पूर्व की भांति यथावत् रहेगी। उक्त नवीन दरें परीक्षा वर्ष 2026–2027 से लागू होगी।

26/10/26

श्रीमती पुष्पा साहू (भा.प्र.से.)
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

कमशः 02 पर..

पृष्ठांकन क्रमाँक/316/समन्वय/वित्त/शुल्क/2026 रायपुर, दिनाँक27/10/2026

1. माननीय शिक्षा मंत्री जी के निज सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के निज सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष/सचिव के निजी सहायक, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त माननीय मण्डल सदस्यगण, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
7 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय संभाग, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर,
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ,
9. समस्त सहायक सचिव/सहायक प्राध्यापकगण/समस्त कक्ष अधि., छ.ग.मा.शि. मण्डल, रायपुर,
10. समस्त संभागीय अधिकारी, छ0ग0मा0शि0मण्डल बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव,
11. समस्त प्राचार्य, मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थायें, छत्तीसगढ़, की ओर सूचनार्थ।
12. प्रोग्रामर, डाटा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर, की ओर मण्डल की वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

26/10/26

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
27/10/26 रायपुर